न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–19/2010
CIS NO. TS-402/2018

मुसमात सावित्री देवी एवं अन्य...वादीगण
बनाम
बिहार सरकार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.10.2024	वादीगण की ओर से पैरवी नही है। प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 75 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांक 28.02.2024 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 28.02.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादिनी ने दिनांक 03.12.2011 का पुर्नवास विभाग द्वारा निर्गत विवरणी खतियानी की सच्ची प्रतिलिपि 1. वीरेन्द्रचन्द्र 2. अतुल चन्द्र हलदार एवं 3. शतीशचन्द्र हलदार के नाम से दाखिल की है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त दस्तावेज को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागया को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–19/2010

CIS NO. TS-402/2018

मुसमात सावित्री देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **23.10.2024**	सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 28.02.2024 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेजों को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 26.11.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	